



अधिष्ठाता कार्यालय

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, छत्तीसगढ़ शासन, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 495001

FAX (O) -07752-224200, PHONE (O) - 07752-230030,

Website: www.cimsbilaspur.in email- deancims@gmail.com

क्र. 3618 / स्था. प्रशा. / सिम्स / बिलासपुर / 20

बिलासपुर, दिनांक 23/03/2020

// आदेश //

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (चिकित्सा महाविद्यालय) सिम्स बिलासपुर छ.ग. में स्वीकृत एवं रिक्त पदों को संविदा से भरे जाने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में चयन समिति द्वारा प्रस्तुत चयन सूची अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवारों को निश्चित समेकित वेतन प्रतिमाह के तहत छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में तैयार किए गए मेरिट सूची अनुसार उक्त पद पर नियमित/तदर्थ नियुक्ति होने या पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि इनमें से जो भी पहले हो तक के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रं	नाम / पिता या पति का नाम	चयन संवर्ग	पदनाम	समेकित वेतन
01	श्रीमति शारदा कौशिक/श्री राजेन्द्र कुमार कौशिक	अनारक्षित	ओ.टी. टेक्नीशियन	18655/-
02	सुलोचना साहू/श्री बंशी राम साहू	अनारक्षित	ओ.टी. टेक्नीशियन	18655/-
03	जंयती कश्यप/श्री.एम.आर. कश्यप	अ.ज.जा.	ओ.टी. टेक्नीशियन	18655/-
04	श्री लोमेश कुमार पाल/श्री लेख पाल	अ.जा.	ओ.टी. टेक्नीशियन	18655/-

संविदा नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार हैं-

- छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ-09-01/2012/01-13 दिनांक 31.12.2012 के संविदा नियुक्ति नियम के तहत शासित होंगे।
- उक्त संविदा नियुक्ति किसी भी समय किसी भी एक पक्ष के द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसकी एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह के वेतन जमा किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह का वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
- उपरोक्त चयनित प्रत्याशियों को अपने स्वास्थ्य की उपयुक्तता के संबंध में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र एक माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुपयुक्त पाये जाने पर अथवा समयावधि के पश्चात् चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
- उम्मीदवार को इस आदेश के जारी होने के दिनांक 15 दिवस के भीतर संबंधित संस्था में अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अथवा आदेश स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- संविदा नियम 2012 के बिन्दु 15 (05) अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिये संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बिमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देना होगा कि कर्मचारी द्वारा किसी योजना का वरण किया गया है।
- चयनित उम्मीदवार को पूर्व में कार्यरत संस्था से कार्यमुक्त होने का प्रमाण पत्र पदभार ग्रहण करने के समय संस्था प्रधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- पदभार ग्रहण हेतु अर्हता संबंधित संपूर्ण दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों दो प्रति में नये फोटोग्राफ जमा किया जाना अनिवार्य है। अर्हता उपयुक्त होने पर ही संबंधित पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा।
- आपके द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज एवं अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत जानकारी पाए जाने पर आपकी संविदा सेवा उक्त तिथि से बिना सूचना के स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।

09. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पूरे कैलेण्डर वर्ष में 15 दिनों के आकस्मिक अवकाश 03 दिनों के एचिठक अवकाश का पात्र होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्ति देने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की गणना पूर्ण माह के लिये अनुपातिक आधार पर की जावेगी।

40

अधिष्ठाता

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान

बिलासपुर, छ.ग.

दिनांक 23/03/2020

36/9-28

क्रमांक/ /स्था.प्रशा./सिम्स/बिलासपुर/20
प्रतिलिपि:-

01. सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. संचालक चिकित्सा शिक्षा, छ.ग. शासन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
03. जिला कोषालय अधिकारी, बिलासपुर, संभाग बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
04. चिकित्सा अधीक्षक सिम्स बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
05. कार्यालयीन लेखा शाखा सिम्स महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06. संबंधित श्रीमति शारदा कौशिक पिता/पति - श्री राजेन्द्र कुमार कौशिक, पता-के.ऑफ-दयाराम कौशिक, कौशिक निवास, एम-4 के पीछे, नर्मदा विहार, यदुनंदन नगर तिफरा बिलासपुर, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
07. संबंधित सुलोचना साहू, पिता/पति- श्री बंशी राम साहू, पता- आनंद मंगलम भवन, बसंत वाटिका के पीछे सीपत रोड, सूर्या विहार लिंगयाडीह, बिलासपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
08. संबंधित जंयती कश्यप, पिता/पति- श्री.एम.आर. कश्यप, पता- पानी टंकी के पास, चौबे कालोनी, सरकण्डा बिलासपुर, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
09. संबंधित श्री लोमेश कुमार पाल, पिता- श्री लेख पाल, पता- ग्राम व पोस्ट-हल्दी, तह-गुण्डरदेही, जिला-बालोद,, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. कार्यालयीन प्रति।

40
23/03/2020

अधिष्ठाता

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान

बिलासपुर, छ.ग.



अधिष्ठाता कार्यालय

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, छत्तीसगढ़ शासन, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) 495001

FAX (O) -07752-224200, PHONE (O) - 07752-230030,

Website: www.cimsbilaspur.in email- deancims@gmail.com

क्र. 3629/स्था.प्रशा./सिम्स/बिलासपुर/20

बिलासपुर, दिनांक 23/03/2020

// आदेश //

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (चिकित्सा महाविद्यालय) सिम्स बिलासपुर छ.ग. में स्वीकृत एवं रिक्त पदों को संविदा से भरे जाने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में चयन समिति द्वारा प्रस्तुत चयन सूची अनुसार निम्नलिखित उम्मीदवारों को निश्चित समेकित वेतन प्रतिमाह के तहत छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में तैयार किए गए मेरिट सूची अनुसार उक्त पद पर नियमित/तदर्थ नियुक्ति होने या पदभार ग्रहण करने की तिथि से अधिकतम एक वर्ष की अवधि इनमें से जो भी पहले हो तक के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रं	नाम / पिता या पति का नाम	चयन संवर्ग	पदनाम	समेकित वेतन
01	श्री विनय कुमार यादव/श्री बैजनाथ प्रसाद यादव	अनारक्षित	लैब. टेक्नीशियन	18655/-
02	श्री दुलेश्वर चन्द्रा/श्री चमार राय चन्द्रा	अनारक्षित	लैब. टेक्नीशियन	18655/-
03	श्री राम कुमार आदित्य/श्री बेनी लाल	अनारक्षित	लैब. टेक्नीशियन	18655/-
04	श्री वेद प्रकाश बिंझवार/श्री फूल सिंह बिंझवार	अ.ज.जा.	लैब. टेक्नीशियन	18655/-
05	कुमारी प्रीति/ श्री भाव सिंह	अ.ज.जा. (महिला)	लैब. टेक्नीशियन	18655/-
06	श्री पूर्ण चन्द्र बिशाल/श्री पुरोषत्तम बिशाल	अ.ज.जा.	लैब. टेक्नीशियन	18655/-
07	कामिनी सिदार/श्री भोगीलाल सिदार	अ.ज.जा. (महिला)	लैब. टेक्नीशियन	18655/-
08	रेशमागायकवाड़/स्व.नारायण प्रसाद गायकवाड़	अ.जा (महिला)	लैब. टेक्नीशियन	18655/-
09	केवरा चन्द्रभाष/श्री जगदीश प्रसाद	अ.जा (महिला).	लैब. टेक्नीशियन	18655/-
10	अंजु कुमारी चौहान/श्री बंशीलाल चौहान	अ.जा (महिला).	लैब. टेक्नीशियन	18655/-
11	राजकुमार/श्रीराम	अ.जा.	लैब. टेक्नीशियन	18655/-

संविदा नियुक्ति की शर्तें निम्नानुसार हैं-

01. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक एफ-09-01/2012/01-13 दिनांक 31.12.2012 के संविदा नियुक्ति नियम के तहत शासित होंगे।
02. उक्त संविदा नियुक्ति किसी भी समय किसी भी एक पक्ष के द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसकी एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह के वेतन जमा किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह का वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
03. उपरोक्त चयनित प्रत्याशियों को अपने स्वास्थ्य की उपयुक्तता के संबंध में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र एक माह के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुपयुक्त पाये जाने पर अथवा समयावधि के पश्चात् चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जावेंगे।
04. उम्मीदवार को इस आदेश के जारी होने के दिनांक 15 दिवस के भीतर संबंधित संस्था में अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अथवा आदेश स्वतः निरस्त मानी जावेगे।
05. संविदा नियम 2012 के बिन्दु 15 (05) अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिये संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बिमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ में जमा करनी

होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देना होगा कि कर्मचारी द्वारा किसी योजना का वरण किया गया है।

06. चयनित उम्मीदवार को पूर्व में कार्यरत संस्था से कार्यमुक्त होने का प्रमाण पत्र पदभार ग्रहण करने के समय संस्था प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
07. पदभार ग्रहण हेतु अर्हता संबंधित संपूर्ण दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियाँ दो प्रति में नये फोटोग्राफ जमा किया जाना अनिवार्य है। अर्हता उपयुक्त होने पर ही संबंधित पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जावेगा।
08. आपके द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेज एवं अभिलेखों में किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत जानकारी पाए जाने पर आपकी सविदा सेवा उक्त तिथि से बिना सूचना के स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
09. सविदा पर नियुक्त कर्मचारी पूरे कैलेंडर वर्ष में 15 दिनों के आकस्मिक अवकाश 03 दिनों के एक्छक अवकाश का पात्र होगा तथा वर्ष के मध्य में नियुक्ति देने अथवा सेवामुक्त होने पर आकस्मिक अवकाश की गणना पूर्ण माह के लिये अनुपातिक आधार पर की जावेगी।

अधिष्ठाता

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान

बिलासपुर, छ.ग.

दिनांक 23/03/2020

3630-46

कमांक/ /स्था.प्रशा./सिम्स/बिलासपुर/20

प्रतिलिपि:-

01. सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02. संचालक चिकित्सा शिक्षा, छ.ग. शासन रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
03. जिला कोषालय अधिकारी, बिलासपुर, संभाग बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
04. चिकित्सा अधीक्षक सिम्स बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
05. कार्यालयीन लेखा शाखा सिम्स महाविद्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06. संबंधित श्री विनय कुमार यादव, पिता/पति -बैजनाथ प्रसाद यादव, पता-ग्राम-डूमरभौठा, पोस्ट-हालाहुली, तह-खरसिया, जिला-रायगढ़, पिन-496661, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
07. संबंधित श्री दुलेश्वर चन्द्रा, पिता/पति- चमार राय चन्द्रा, पता- ग्राम व पोस्ट-किरीत(सोनारपारा), तह-नवागढ़, जिला-जांजगीर चांपा पिन-495557, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
08. संबंधित श्री राम कुमार आदित्य, पिता/पति- बेनी लाल आदित्य, पता- ग्राम/पोस्ट/थाना-कोसीर, तह-सारगढ़, जिला-रायगढ़, पिन-496445 छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
09. संबंधित श्री वेद प्रकाश बिंझवार, पिता- श्री फूल सिंह बिंझवार, पता- मु/ग्राम-पुरेना, पोस्ट-जर्वे, व्हाया-भैसमा, तह-करतला, जिला-कोरबा, पिन-495674, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. संबंधित कुमारी प्रीति, पिता- श्री भाव सिंह, पता- ग्राम-तरौर, पोस्ट-निमधा, तह-मरवाही, जिला-बिलासपुर, पिन-495119, मो.न.-7223914621 छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. संबंधित श्री पूर्ण चन्द्र बिशाल, पिता-पुरोषत्तम बिशाल, पता- ग्राम/पोस्ट-बार, तह-बरमकेला, जिला-रायगढ़, पिन-496554 छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. संबंधित कामिनी सिदार, पिता-श्री भोगीलाल सिदार, पता- ग्राम-दर्शभाठा, पोस्ट-सकर्वा, तह-माल खरौदा, जिला-जांजगीर चांपा, पिन-495689, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. संबंधित रेशमा गायकवाड, पिता- स्व. नारायण प्रसाद गायकवाड, पता- ग्राम-चिंगरी, पोस्ट/थाना-अण्डा, जिला/तह-दुर्ग, पिन-491221, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14. संबंधित केवरा चन्द्रभाष, पिता- श्री जगदीश प्रसाद पता-मु/पोस्ट-कपिस्ता, व्हाया-बम्हनीडीह, तह-चांपा, जिला-जांजगीर चांपा, पिन-495660, मो.ना-7828665999, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
15. संबंधित अंजु कुमारी चौहान, पिता- श्री बंशीलाल चौहान, पता-ग्राम-बंजारी, पोस्ट-अड़भार, थाना/तह-मालखरौदा, जिला-जांजगीर चांपा, पिन-495695, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
16. संबंधित राजकुमार सोनवानी, पिता-श्रीराम, पता-मु/पोस्ट-परसकोल, तह-सारगढ़, जिला-रायगढ़, पिन-496445, छ.ग. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
17. कार्यालयीन प्रति।

अधिष्ठाता

छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान

बिलासपुर, छ.ग.